उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2,

संख्या-16/2022/ 152प्र0स0/92-2-2022-55एम/2019

लखनऊः दिनांक 11 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत सी0जी0एफ0 की धनराशि से जनपद चित्रकूट के क्लस्टर कसहाई की 06 ग्राम पंचायतों में 56 गलियां जिसमें ग्राम पंचायत लोढ़वारा की तीन गलियां तीन गलियां- हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 145 मीटर), राम प्रसाद के घर से जानकी का पुरवा तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 375 मीटर) एवं राम औतार के घर से बारेलाल कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 120 मीटर) के निर्माण कार्य मानक के विपरीत व निम्न कोटि का कराये जाने के संबंध में कोई भी निरीक्षण नोट न जारी किये जाने आदि अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2043/92-2-2019-55एम(जांच)/ 2019, दिनांक 06.09.2019 द्वारा श्री विजय कुमार दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड- चित्रकूट के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1401/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-चित्रकूट/एस0टी0-307/2019-20, दिनांक- 19.03.2020 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री दूबे पर कुल अधिरोपित 01 आरोप की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराया गया। जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर उक्त आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित होने के दृष्टिगत उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-1070/92-2-2020-55एम/2019, दि0 19.06.2020 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया। तत्क्रम में अपचारी अधिकारी श्री दूबे द्वारा पत्रांक 1149/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/ अभ्यावेदन/ व्य0पत्रा0/पत्रा0 सं0-41/2020-21 दि0 22.01.2021 द्वारा अभिकथन/अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया।

3- अतएव अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं सुसंगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा (1) हरी बढ़ई के घर से भगवार माली के घर तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 145 मीटर) (2)राम प्रसाद के घर से जानकी का पुरवा तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 375 मीटर) (3) राम औतार के घर से बारेलाल कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 120 मीटर) के निर्माण कार्य के संबंध में निरीक्षण नोट जारी नहीं किया गया है। अतएव जांच अधिकारी की जांच आख्या के अनुसार अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से आरोप स्थापित पाये जाने के जांच निष्कर्ष, जो गली नं0-2 व गली नं0-3 के संबंध में निरीक्षण नोट जारी नहीं किये जाने के आधार पर किया गया है, को स्वीकार किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है क्यांकि जांच अधिकारी द्वारा गली नं0-1 के निरीक्षण नोट जारी किये जाने के संबंध में जांच आख्या में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है, जबकि गली नं0-1 का निर्माण अपचारी अधिकारी के कार्यकाल में हुआ है एवं उसके द्वारा भुगतान भी किया गया हैं। अतः अपचारी अधिकारी पर गली नं0-1, गली नं0-2 एवं गली नं0-3 का निरीक्षण नोट जारी नही किये जाने का आरोप पूर्ण रूप से स्थापित पाया गया।

4- अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2043/92-2- 2019-55एम(जांच)/2019, दिनांक 06.09.2019 द्वारा श्री विजय कुमार दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड- चित्रकूट के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2021/66प्र0स0/92-2-2021-55एम/2021 दिनांक 10.03.2021 द्वारा निम्नानुसार परिनिन्दा का दण्ड देते हुए समाप्त किया गया:-

''श्री विजय कुमार दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- चित्रकूट श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत सी0जी0एफ0 की धनराशि से जनपद चित्रकूट के क्लस्टर कसहाई की 06 ग्राम पंचायतों में 56 गलियां जिसमें ग्राम पंचायत लोढ़वारा की तीन गलियां तीन गलियां-हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 145 मीटर), राम प्रसाद के घर से जानकी का पुरवा तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 375 मीटर) एवं राम औतार के घर से बारेलाल कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड व नाली (लम्बाई 120 मीटर) का निरीक्षण नोट जारी न किये जाने हेतु परिनिन्दित किया जाता है।''

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10.03.2021 द्वारा पारित उक्त परिनिन्दा के दण्ड के संबंध में प्राप्त श्री विजय कुमार दूबे के पत्र दिनांक 05.05.2022 के साथ प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 27.04.2022 में उल्लिखित कथनों का उच्च स्तर पर संज्ञान लेते हुए यह पाया गया कि श्री दूबे के विरूद्ध एक मात्र आरोप रहा है और जांच अधिकारी की जांच आख्या में इसे आंशिक रूप से ही बताया गया है। प्रकरण में इनके द्वारा कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अवर अभियंता एवं सहायक अभियन्ता को जांच आख्या में दोषमुक्त पाया गया है। जनपद चित्रकूट के क्लस्टर कसहाई की 06 ग्राम पंचायतों में 56 गलियों में से केवल 03 गलियों का निरीक्षण नोट जारी न करने हेतु उन्हें आरोपित किया गया है। ठेकेदार द्वारा तीन गलियों का कार्य करा दिया गया था क्योंकि कार्य डायरेक्ट लाइबेल्टीज के अन्तर्गत था। श्री दूबे के उत्तराधिकारी श्री अख्तर अली अंसारी जिन्होंने 02 गलियों का भुगतान बाद में किया उन्हें भी जांच आख्या मे दोषमुक्त किया गया है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/ 2021/66प्र0स0/92-2-2021-55 एम/2021 दिनांक 10.03.2021 द्वारा श्री विजय कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सहारनपुर को दिये गये परिनिन्दा के दण्ड को विलोपित करते हुऐ **''Counsel"** किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-16 (1)152प्र0स0/92-2-2022 तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री विजय कुमार दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सहारनपुर-द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in